<u>दांडिक प्रकरण क्रमांकः 602/2022, अभियोजन साक्षीः मिथलेश बनर्जी (अ.सा. 02) दिनांक : 12.07.2023</u>

साक्ष्य प्रारंभ :– 4:40 बजे

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ.</u>

01. मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी को जानता हूं वह साजा में फोकटपारा मोहल्ले का रहने वाला है। मैं पुलिस थाना साजा गया हुआ था जहां शराब पकड़े है कहकर बताये और मुझे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराये तो मैं हस्ताक्षर कर दिया था।

02. घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.01 है, मुखबीर सूचना पंचनामा प्र.पी.02 है, धारा 160 द.प्र.सं. की नोटिस प्र.पी.03, आरोपी का सहमति पत्र प्र.पी.04 है, पंचानों एवं साक्षियों का तलाशी पंचनामा प्र.पी.05 है, फोर्स एवं फोर्स के वाहनों का तलाशी पंचनामा प्र.पी.06 है, रेड कार्यवाही पंचनामा प्र.पी.07 है, आरोपी एवं समान की तलाशी पंचनामा प्र.पी.08 है, बरामदगी पंचनामा प्र.पी.09 है, जप्ती पत्रक प्र.पी.10 है, नमुना सील पंचनामा प्र.पी.11 है, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.12 है, जिसके क्रमशः के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वाले मेरा बयान नहीं लिये थे।

:: <u>इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा भा0 साक्ष्य अधि. की धारा–154 के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी, विचारोपरांत अनुमति दी गयी</u> ::

03. पुलिस बयान प्र.पी.13 के अ से अ भाग दिनांक 02.10.2022 ....हस्ताक्षर किये है का पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी द्वारा पुलिस को ऐसा बयान देने से इंकार किये है। यह कहना गलत है कि आरोपी मजलूम खान के पेश करने पर पुलिस वालों के द्वारा मेरे समक्ष एक लाल काला पट्टेदार झोला में 08 पौवा देशी मशाला शराब एवं 3 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा में 180–180 एम.एल. देशी प्लेन शराब भरा हुआ सीलबंद मात्रा 1980 बल्क लीटर शराब की कीमत 990/–रूपये एवं बिक्री रकम 720 रूपये नगदी एवं मोटर सायकल सी.बी.जेड क्रमांक सी.जी.08/जे.एच./0480 कीमती 15000 रूपये कुल कीमत 16710/– रूपये को जप्त किया गया था।

04. यह कहना गलत है कि, आरोपी को मेरे समक्ष गिरफ्तार किया गया था। यह कहना गलत है कि, प्र.पी.01 से प्र.पी.12 तक की कार्यवाही पुलिस वालों के द्वारा मेरे समक्ष की गयी है। यह कहना गलत है कि, आज मैं आरोपी से मिल गया हूं इसलिये आज सही बात नहीं बता रहा हूं।

<u>::– प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री योगेन्द्र चंदेल अधिवक्ता वास्ते आरोपी/गण</u> :: –

05. यह कहना सही है कि मैने पुलिसवालो के कहने पर प्र.पी.1 से प्र.पी.12 तक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया हूं जिसे मैने नहीं पढ़ा और न ही पुलिसवाले मुझे पढ़कर सुनाये थे, पुलिस वाले के कहने पर मैंने हस्ताक्षर किया है।

गवाह को पढ़कर सुनाये जाने पर सही होना स्वीकार किया।

मेरे निदेशन पर टंकित

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

साक्षी
हस्ताक्षर

(श्रीमती अंकिता मुदलियार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

<u>साक्ष्य समाप्त :– 4:45 बजे</u>